उत्तर प्रदेश शासन
बाल विकास एवं पुष्टाहार अनुभाग
संख्या-03/2022/3768/58-1-2021-2/3(2)18
लखनऊ :: दिनांक 05 जनवरी, 2022

संशोधन-आदेश

वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-49 के लेखाशीर्षक "2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-102-बाल कल्याण-01-केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं-0129-आधार नामांकन किट की व्यवस्था के मानक मद 42-अन्य व्यय" में वित्तीय स्वीकृति जारी करने विषयक शासनादेश संख्या-43/2021/2530/58-1-2021-2/3(2)18, दिनांक 06.10.2021 द्वारा निर्गत किया गया है। उक्त शासनादेश दिनांक 06.10.2021 का प्रस्तर-1(1) निम्नवत् हैः-

(1) क्रय की गयी किट बाल विकास परियोजना कार्यालय पर स्थापित की जायेंगी, जो आधार नामांकन एजेन्सी के रूप में कार्य करेगा। बाल विकास परियोजना कार्यालय में स्थापित होने एवं कार्य प्रारम्भ होने के उपरान्त 70 प्रतिशत, तत्पश्चात् शेष 30 प्रतिशत भुगतान 03 माह में किया जायेगा।

2. उक्त शासनादेश दिनांक 06.10.2021 का प्रस्तर-1(1) निम्नवत् संशोधित किया जाता हैः-

"(1) क्रय की गयी किट बाल विकास परियोजना कार्यालय पर स्थापित की जायेंगी, जो आधार नामांकन एजेन्सी के रूप में कार्य करेगा। आधार नामांकन किट का क्रय/आपूर्ति जेम पोर्टल पर उपलब्ध नियम/शर्तों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।"

अतः उक्त शासनादेश संख्या-43/2021/2530/58-1-2021-2/3(2)18, दिनांक 06.10.2021 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

(महावीर प्रसाद गौतम)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-03/2022/3768(1)/58-1-2021, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
6. आहरण एवं वितरण अधिकारी, निदेशालय, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(महावीर प्रसाद गौतम)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।